भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1285
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

हीटवेव का प्रभाव

+1285. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान देश में मत्स्यपालन आधारित व्यवसाय पर हीटवेव के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन / सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में हीटवेव के कारण आंध्र प्रदेश और एलुरु जिले में हुई कुल हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों में हीटवेव के कारण आंध्र प्रदेश और एलुरु जिले सहित पूरे भारत में राज्यवार और जिला-वार कुल कितने मत्स्यपालन कारोबार बंद हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में हीटवेव के कारण मत्स्यपालन को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने मत्स्यपालन पर हीटवेव के प्रभाव और उसके समाधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान/पहल शुरू की है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर मरीन हीटवेवस की विशेषताओं का अध्ययन किया है। हालाँकि, मरीन हीटवेवस के कारण मरीन इकोसिस्टम और मात्स्यिकी आधारित व्यवसाय के बीच जटिल संबंध के बारे में और आगे अध्ययन किया जाना है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार के मात्स्यिकी विभाग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान एलुरु जिले सहित आंध्र प्रदेश में हीटवेव के कारण मात्स्यिकी क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं होने की सूचना दी है।

(घ) और (ड़:) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र / इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फोरमेशन सरवीसेस (आईएनसीओआईएस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, दैनिक आधार पर हिंद महासागर पर समुद्री हीटवेव की तीव्रता और जोखिमों पर सलाह जारी कर रहा है। मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मात्स्यिकी और जलीय कृषि पर हीटवेव के प्रभाव को कम करने के लिए, वार्षिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है और निवारक सलाह जारी किया जाता है। गांव स्तर के मात्स्यिकी सहायकों / विल्लेज लेवल फिशरीस एसीस्टेनट्स (वीएफए) और जिला कार्यालयों के माध्यम से वितरित ये सलाह, व्यवसायों को गर्मियों में मछलियों के संरक्षण और नुकसान को कम करने के तरीके के बारे में बताते हैं। इसके अलावा, हीटवेव सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित तटीय समुदायों की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्रित निवेश के उद्देश्य से समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों को क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमेन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में पहचाना है । इस कार्यक्रम में समुद्री शैवाल की खेती, आरटिफ़िशियल रीफ़्स, सी रैन्चिंग और हरित ईंधन के उपयोग आदि जैसी पहलों के माध्यम से जलवायु-अनुकूल मात्स्यिकी को बढ़ावा दिया जाता है। मछुआरों और फिशिंग वेसल्स के लिए सेफ़्टी और सेक्योरिटी उपाय, सजावटी मत्स्यपालन जैसी आर्थिक गतिविधियाँ, और सपोर्ट प्रोग्राम जैसे बीमा, आजीविका और पोषण सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान की जाती है। पहचाने गए तटीय मछुआरा गांवों में आवश्यकता आधारित सुविधाओं वाली गतिविधियाँ हैं, जिनमें फिश ड्राइंग यार्ड, फिश प्रोसेसिंग सेन्टर्स, फिश मारकेट्स, फिशिंग जेट्टीस, आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और आपातकालीन बचाव सुविधाएं जैसी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं ।

*****